न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 06/2023

1. रामावतार पुत्र मदनलाल
2. राजेन्द्र पुत्र मदनलाल
जाति महाजन निवासी महेश्वरा कलां तहसील दौसा जिला दौसा

...अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा
2. विनोद पुत्र मदन लाल जाति महाजन निवासी महेश्वरा कलां तहसील दौसा जिला दौसा

...रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश नायब तहसीलदार दौसा दिनांक 23.1.2023 जो मुकदमा नंबर 36/2022 उनवानी सरकार बनाम रामावतार धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित : 1. श्री विनोद कुमार विजय, अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष
2. श्री चन्दर सिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 28.6..2023

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि नायब तहसीलदार, दौसा ने दिनाक 23.1. 2023 को ग्राम महेश्वरा कलां तहसील दौसा के आ0ख0 न0 2045 से 2048, 2049/2714 रकबा 1.26है0 किस्म सिवायचक भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली एवं लगान के 50 गुना शास्ति का निर्णय पारित कर दिया गया। इसी निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि पटवारी हल्का महेश्वरा कलां ने अपीलांट के विरोधी लोगों से मिलकर एवं भ्रष्ट आचरण करके तथा भूमि खसरा नंबर 2045 से 2048, 2049/2714 कुल किता 5 रकबा 1.26है. वाके ग्राम महेश्वरा कलां की वर्तमान में माफी मंदिर के नाम दर्ज होने के बावजूद और उक्त भूमि के संबंध में अपीलांट के द्वारा माननीय राज0 उच्च न्यायालय में दायर याचिका विचाराधीन होने के बावजूद भी तथा उक्त भूमि पर अपीलांट के बुजुर्गों का कब्जा 50 साल से भी अधिक समय से होने के उपरांत भी पटवारी हल्का ने वर्तमान में मंदिर मूर्ति के नाम दर्ज भूमि को सिवायचक बताकर एवं नवीन अतिक्रमण बताकर एक रिपोर्ट नायब तहसीलदार दौसा को प्रस्तुत की गई। नायब तहसीलदार दौसा ने प्रकरण सं0 36/2022 सरकार बनाम रामावतार दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना एवं बिना कोई जांच किये व नोटिस की तामील कराये बिना अपीलांट के खिलाफ एकतरफा में दिनांक 23.1.2023 को बेदखली एवं 1044 रू0 शास्ति से दंडित कर आराजी पर स्थित फसल को कब्जे में लेकर फसल नीलामी का निर्णय पारित कर दिया। नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित अपीलाधिन निर्णय दिनांक 23.1.2023 विधि प्रकिया, तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व अपीलांट को बिना नोटिस दिये उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पों. नंबर 2 के नाम संयुक्त नोटिस जारी कर एवं संयुक्त नोटिस की अपीलांट की तामील कराये बिना और

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

कानूनन अधीनस्थ न्यायालय को संयुक्त नोटिस जारी किये जाने का अधिकार नहीं होने के बावजूद उक्त निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो उक्त भूमि के रिकार्ड को देखा, ना ही पटवारी हल्का के बयान लिये बिना मनमर्जी से निर्णय पारित किया गया है। उक्त भूमि मंदिर माफी के नाम दर्ज अपीलांट की खातेदारी व कब्जे की भूमि है ना कि सिवाय चक। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने पद का दुरूपयोग कर अपीलांट के विरोधी लोगों से मिलीभगत करके और उक्त भूमि को सिवायचक भूमि बताकर निर्णय पारित किया है। चूंकि प्रश्नगत भूमि अपीलांट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर 50 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलांट का व अपने बुजुर्गों का कब्जा चला आ रहा है व उक्त भूमि पर तारबंदी हो रही है। सैटलमेंट के दौरान उक्त भूमि को गलत तरीके से मंदिर माफी के नाम अंकित कर दिया जिसके संबंध में माननीय राज0 उच्च न्यायालय में याचिका विचाराधीन है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस बातों पर गौर नहीं करके निर्णय पारित कर कानूनी गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि को सिवाय चक बताकर धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही करने का कोई अधिकार नहीं था। अपीलांट व रेस्पों. नं0 2 के बोलचाल नहीं है। उक्त कार्यवाही की जानकारी बाबत रेस्पों. सं. 2 ने अपीलांट को नहीं बताया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी पूर्व में नहीं थी। पटवारी हल्का के द्वारा भूमि को मौके पर फसल को कब्जे राज लेने की जानकारी देने पर हुई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पों0 सं0 2 के नाम संयुक्त नोटिस जारी किया गया है जबकि पृथक–2 नोटिस जारी किये जाने थे। अधिवक्ता अपीलांट्स ने इस कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्तों की प्रतियां पेश की जाकर निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.1.2023 को निरस्त फरमाया जावे एवं निर्णय के तहत अपीलाधीन भूमि पर खडी फसल को जब्त कर नीलाम किया गया है, उसे भी निरस्त फरमाया जाकर नीलामी राशि 25,000/–रू0 अपीलांट को दिलवाई जावे।

Web Copy - Not Official

पैरोकार सरकार की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का महेश्वरा कला द्वारा प्रस्तुत करने पर भू अभिलेख निरीक्षक जसोता से जांच करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक जसोता की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम– 1956 की धारा 91 के तहत संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की प्रति अपीलांट के सगे भाई सेस्पों. सं0 2 विनोद के द्वारा प्राप्त की गई है एवं रेस्पों. सं.2 विनोद नियत तारीख पेशी पर अधीनस्थ न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में संवत 2079 फसल रबी में राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नंबर 2045 से 2048 एवं 2049/2714 कुल किता 5 रकबा 1.26 है0 पर सरसों बुवाई कर अतिचार किया जाना अंकित है। अपीलांट्स द्वारा राजकीय सिवायचक भूमि पर कब्जा किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पों0 सं0 2 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता अपीलांट्स व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का महेश्वरा कलां द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच भू अभिलेख निरीक्षक जसोता से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स एवं रेस्पों. सं0 2 को संयुक्त रूप से राजस्थान भू0

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested

निरंतर ....3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स का भाई विनोद नियत तारीख पेशी पर उपस्थित होकर साक्ष्य एवं सबूत पेश करने का अवसर चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को पृथक–2 नोटिस जारी किये जाने चाहिए थे जो नहीं किये गये है। मात्र औपचारिकता के आधार पर अपीलांट्स एवं रेस्पों. सं0 2 को एक ही नोटिस जारी कर प्रकरण का निस्तारण किया गया है। साथ ही अपीलांटस एवं रेस्पों. सं0 2 एवं अन्य के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित एक याचिका एस0बी0 सिविल रिट पिटीशन नं0 14549/2021 माननीय राज0 उच्च न्यायालय जयपुर में उनवानी रतनदेवी वगै0 बनाम ठाकुरजी श्री गोपालजी वगै0 विचाराधीन है। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के अनुसार किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश पारित किया जाने से पूर्व उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। चूँकि इस प्रकरण में अपीलांट्स को सुनवाई का मौका नहीं मिलना अवगत होता है। हम प्रस्तुत अपील में सीधे कोई कार्यवाही नहीं कर प्रकरण रिमाण्ड किये जाने योग्य समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.1.2023 को निरस्त किया जाता है। प्रकरण नायब तहसीलदार दौसा को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्णय के आलोक में अपीलांट्स को पुनः सुनवाई एवं सबूत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रश्नगत भूमि से संबंधित विचाराधीन याचिका के तथ्य को मध्यनजर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 28 जून, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.07.28 12:58:50 IST
Reason: SelfAttested